पत्र संख्या-विधि-2-(1)-प्रवेश कर अधिनियम/नियo-194 (2009-2010)/1911/1011097/ वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(विधि अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ:: मार्च 11/3/,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय:- प्रवेश कर की धनराशियों को सही लेखा शीर्षक में जमा कराने के सम्बन्ध में।

सर्वश्री इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 27-1-2004 द्वारा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2000 को अधिकारातीत (Ultra Vires) घोषित किये जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2757-2758/2004 दायर की गयी थी जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-2-2004 के अनुपालन में प्रवेश कर से प्राप्त धनराशि को ब्याज आकर्षित करने वाले जमा खाता में रखे जाने हेतु शासन द्वारा इस कर की धनराशि को लेखा शीर्षक ''8342- अन्य जमा-120-विविध जमा- 01- प्रवेश कर की प्राप्तियां'' के अन्तर्गत जमा करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

2- तत्पश्चात् उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम -2000 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या- 12 सन्-2000) को निरसित करते हुये उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश-2007 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-35 सन् 2007) दिनांक 24-9-2007 को प्रख्यापित किया गया था जिसे उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन्-2007) द्वारा दिनांक 19-11-2007 को अधिनियमित कर दिया गया था।

3- उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश-2007 जारी होने के पश्चात् मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-1-(2)- एन-3-(2007-2008)/1250 व्यापार कर दिनांक 22-10-2007 द्वारा शासकीय विज्ञप्ति संख्या-2451/ ग्यारह-9-(107)/2007 उ0प्र0अध्या0-35-2007-08-नियम-2007-आदेश (9) दिनांक 11-10-2007 द्वारा निर्गत उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली-2007 परिपत्रित की गयी थी जिसके नियम-5(1) में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त अध्यादेश के अधीन प्रवेश कर के उद्ग्रहण के आगम को निम्नलिखित शीर्षक में जमा किया जायेगा :-

'' 0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर।
102-राज्य बिक्रीकर अधिनियम के अधीन प्राप्तियां।
05-उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर के अधीन प्राप्तियां।
01-कर संग्रह।
02-प्रवेश कर के अधीन निबन्धन पर फीस।''

4- शासनादेश के अनुसार उपर्युक्त लेखा शीर्ष के अधीन जमा प्रवेश कर को वर्ष के अन्त में वार्षिक प्राप्तियों को उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि में बजट व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकार के लोक लेखा के शीर्ष '' 8229-विकास और कल्याण निधि, 200-अन्य विकास और कल्याण निधि, 14- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि'' में विनियोग किया जायेगा।

5- प्रस्तर-3 में उल्लिखित उपर्युक्त लेखा शीर्षक में ही प्रवेश कर से प्राप्त धनराशियों को जमा करने के निर्देश मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-2-(1)-प्रवेश कर अधिनियम-173(2007-2008)-1606 दिनांक 24-12-2007 द्वारा भी प्रसारित किये गये थे तथा स्पष्ट रुप से यह निर्देश दिये गये थे कि ''8342-अन्य जमा-120-विविध जमा-01-प्रवेश कर प्राप्तियां'' के अन्तर्गत अब प्रवेश कर की प्राप्तियां जमा नहीं की जायेगी।

6- शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-बी-1-2849/दस-2010 दिनांक 10-8-2010 द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को यह अवगत कराया गया है कि महालेखाकार द्वारा प्रवेश कर की धनराशि ''8342-अन्य जमा-120-विविध जमा-01-प्रवेश कर की प्राप्तियां'' के स्थान पर लेखा शीर्षक ''8342-अन्य जमा '' के अन्तर्गत लघुशीर्ष ''120-विविध जमा'' में ही पुस्तांकित की जा रही है जबकि इन्हें लेखा शीर्ष ''8342-अन्य जमा'' के लघुशीर्ष ''120-विविध जमा'' के अन्तर्गत खोले गये उपशीर्ष'' 01-प्रवेश कर प्राप्तियां'' के अन्तर्गत पुस्तांकित की जानी चाहिए। वित्त विभाग द्वारा तद्नुसार महालेखाकार से उक्त पुस्तांकन सही करने का अनुरोध किया गया है और प्रतिलिपि कमिश्नर वाणिज्य कर को आवश्यक कार्यवाही हेतु दी गयी है।

7- अत: उक्त संदर्भ में यह पुन: निर्देश दिये जाते हैं कि उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश-2007 लागू होने के पूर्व की अवधि से सम्बन्धित प्रवेश कर की धनराशि जमा करने के चालानों में लेखा शीर्षक ''8342-अन्य जमा-120-विविध जमा-01-प्रवेश कर की प्राप्तियां '' अंकित कराना सुनिश्चित करें, परन्तु उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश-2007 के निर्गत होने के दिनांक 24-9-2007 के पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित प्रवेश कर की प्राप्तियों को लेखा शीर्षक ''8342-अन्य जमा-120-विविध जमा-01-प्रवेश कर की प्राप्तियां '' के अन्तर्गत नहीं जमा किया जाना है, बल्कि इसे पूर्वोक्त लेखा शीर्षक -

'' 0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर।

102-राज्य बिक्रीकर अधिनियम के अधीन प्राप्तियां।

05-उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर के अधीन प्राप्तियां।

01-कर संग्रह।

02-प्रवेश कर के अधीन निबन्धन पर फीस।'' के अन्तर्गत ही जमा किया जाना है।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवँ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
(15) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि 0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।
(21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से ।
(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(33) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर
(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुॅजगली,चौक,वाराणसी ।
(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामँत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।

(54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास,दारुल शफा,लखनऊ ।

(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।

(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।

(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट , खोया मण्डी इलाहाबाद ।

(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूॅं, ।

(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(पदम् कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।